न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 64/2019/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांक 20.08.2019

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

अवतार सिंह आत्मज श्री ज्ञान सिंह जाति सिक्ख, निवासी रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा फर्म सदगुरू स्टोन इण्डस्ट्रीज रामगंजमण्डी, जिला कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा
2. स्व0 धन्नालाल आत्मज दोली, जाति बलाई, निवासी ग्राम ढाबादेह (असकली), तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, जरिये कायम मुकामान :–

   2/1 दरियाब बाई पत्नी स्व0 धन्नालाल जाति मेघवाल, निवासी ग्राम जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

   2/2 राजूलाल

   2/3 नेमीचंद

   2/4 गिरीराज

   2/5 सीमा

   पिसरान स्व0 धन्नालाल जाति मेघवाल, निवासीगण ग्राम जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
3. स्व0 हरमेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 ज्ञान सिंह, जाति सिक्ख, निवासी यादव मोहल्ला बाजार नं0 3, रामगंजमण्डी, जिला कोटा जरिये कायम मुकामान :–

   3/1. कमलजीत कौर पत्नी स्व0 हरमेन्द्र सिंह, जाति सिक्ख, निवासी यादव मोहल्ला बाजार नं03, रामगंजमण्डी, जिला कोटा

   3/2. दशमीतकौर पुत्री स्व0 हरमेन्द्र सिंह पत्नी गुरमीत सिंह छाबड़ा, जाति सिक्ख, निवासी मकान नम्बर 209 गोविन्द नगर (इस्ट) गुरूद्वारे की पीछे, जयपुर

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलार्थी

::निर्णय::

दिनांक 31.07.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2015 बउनवान अवतार सिंह बनाम सरकार वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर नया खसरा सं0 521 रकबा 0.65 है0 वाके माल ग्राम मायला के प्रार्थी के खसरा सं0 516 की पश्चिम दिशा में दर्शाया जाकर इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से निर्णय दिनांक 03.07.2019 से खारिज किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम मायला, तहसील रामगंजमण्डी में साबिक खसरा सं0 317/1 की 2 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अपीलांट को प्राप्त हुई थी। बाद रूपान्तरण अपीलांट के पक्ष में उक्त भूमि का पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया था तथा उपरोक्त भूमि पर अपीलांट ने कोटा स्टोन का उद्योग स्थापित किया था। उक्त पट्टेशुदा भूमि के सीमाओं के अनुसार पूर्व में मैसर्स हरमेन्द्र सिंह स्टोन पालिश फैक्ट्री मालिक हरमेन्द्र सिंह, पश्चिम में भू–खण्ड धन्नालाल बाद में फैक्ट्री जम्बू कुमार, उत्तर में सुकेत से रामगंजमण्डी रोड़ तथा दक्षिण में पावर हाउस स्टेशन की मौके की स्थिति पूर्ववत चली आ रही है। इस प्रकार अपीलांट की आराजी के पश्चिम में रेस्पो0 धन्नालाल पुत्र दोला की पुराने खसरा सं0 317/3 मिन रकबा 4 बीघा आराजी वाके माल ग्राम मायला तहसील रामगंजमण्डी स्थित रही है। अपीलांट के खसरा सं0 317/1 की उपरोक्त भूमि के वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा सं0 516 रकबा 0.32 है0 कायम हुआ है। रेस्पो0 हरमेन्द्र सिंह की फैक्ट्री भी खसरा सं0 317/1 रकबा 3 बीघा में स्थित रही है, जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा सं0 517 व 518 कायम हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा सं0 317 वाके ग्राम मायला का रकबा लगभग 43 बीघा था, जिसमें से कई लोगों को भूमि छोटे–छोटे टुकड़ों में आवंटित की गई थी, परन्तु पुराने नक्शे में मुताबिक आवंटन तरमीम नहीं की गई थी। परन्तु भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों के द्वारा

आ0 3 (स.) आयुक्त
कोटा

मौके की स्थिति के विपरित मनमाने तौर पर सर्वथा गैरकानूनी रूप से साबिक खसरा सं0 317 के नये खसरा सं0 515 लगायत 522 कायम कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वर्ष 2007 में महावीर पुत्र नन्दा, जाति मीणा निवासी ग्राम मायला द्वारा पुराने साबिक खसरा सं0 317/357 का नया खसरा सं0 520 कायम किया, जिसके संबंध में अपीलांट ने रेस्पो0 हरमेन्द्र सिंह व मसूद अहमद के विरूद्ध धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं फौजदारी प्रकरण धारा 3 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुये प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी एवं तत्कालीन उपाधीक्षक रामगंजमण्डी व तहसीलदार रामगंजमण्डी के संयुक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का कुदायला एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौके के अनुसार पैमाईश रिपोर्ट तैयार की थी, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। धारा 183बी के प्रकरण में निर्णय पारित कर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने महावीर मीणा निवासी मायला का उपरोक्त भूमि पर काफी लम्बे समय से कब्जा होना नहीं पाया गया था तथा उक्त प्रकरण खारिज फरमा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि अपीलांट के खसरा सं0 317/1 रहे हैं, के पश्चिम दिशा में रेस्पो0 धन्नालाल की आराजी स्थित है तथा उसके बाद जम्बू कुमार की फैक्ट्री स्थित है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शे में खसरा सं0 317/3 की भूमि का नया नम्बर 521 कायम कर दिया, जिसकी लोकेशन नये नक्शे में पुराने नक्शे के विपरित भिन्न स्थान पर अंकित कर दी गयी। इस प्रकार भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों को धन्नालाल की भूमि की स्थिति में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की अपीलांट की भूमि खसरा सं0 516 के पश्चिम में पूर्व की भांति नक्शे में दुरूस्ती की जाकर रेस्पो0 धन्नालाल की खसरा सं0 521 की 0.65 है0 भूमि दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बावजूद सूचना रेस्पो0 अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट की आराजी के पश्चिम में रेस्पो0 धन्नालाल की पुराने खसरा सं0 317/3 मिन रकबा 4 बीघा आराजी वाके माल ग्राम मायला तहसील रामगंजमण्डी स्थित रही है। अपीलांट के पुराने खसरा सं0 317/1 की प्रश्नगत भूमि के वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा सं0 516 रकबा 0.32 है0 कायम हुआ है। रेस्पो0 हरमेन्द्र सिंह की फैक्ट्री भी खसरा सं0 317/1 रकबा

31-7-2025
राज. सं. आयुक्त
कोटा

3 बीघा में स्थित रही है, जिसके बाद सेटलमेंट में नये खसरा सं0 517 व 518 कायम हुआ है। खसरा सं0 317 वाके ग्राम मायला का रकबा लगभग 43 बीघा था, जिसमें से कई लोगों को भूमि छोटे–छोटे टुकड़ों में आवंटित की गई थी, परन्तु पुराने नक्शे में मुताबिक आवंटन तरमीम नहीं की गई थी। पटवार हल्का कुदायला की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2007 अनुसार अपीलांट की लोकेशन को परिवर्तित कर दर्शाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के पत्र दिनांक 27.04.2018 की पालना मे तहसीलदार रामगंजमण्डी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 24.05.2018 अनुसार पटवारी हल्का कुदायला की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05. 2018 से खसरा सं0 516 रकबा 0.32 है0 के संबंध में रिकोर्ड अनुसार एवं मौका अनुसार भिन्नता व्यक्त की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना–पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को धारा 111–128 एलआरएक्ट के तहत गुणावगुण के आधार पर सुनवाई हेतु रिमांड किया फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2015 DNJ[Raj.] Page No. 235** पेश किये।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर ग्राम मायला के खसरा सं0 521 रकबा 0.65 है0 को अपीलार्थी/प्रार्थी के खसरा सं0 516 की पश्चिम दिशा में दर्शाया जाकर उसी के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष भू–अभिलेख बन्दोबस्त नियमावली के अनुसार प्रदान किया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थना–पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के तहत विचारणीय एवं पोषणीय नहीं होने से निर्णय दिनांक 03.07.2019 से उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि पटवार हल्का कुदायला की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2007 अनुसार अपीलांट की वादग्रस्त आराजी की लोकेशन को परिवर्तित कर दर्शाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के पत्र दिनांक 27.04.2018 की पालना मे तहसीलदार रामगंजमण्डी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 24. 05.2018 अनुसार पटवारी हल्का कुदायला की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2018 से खसरा सं0 516 रकबा 0.32 है0 के संबंध में रिकोर्ड अनुसार एवं मौका अनुसार भिन्नता व्यक्त की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 में यह विवेचन किया गया कि "प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे में दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है, परंतु प्रार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है कि वह

... 2025
प्रा. स. आयुक्त
कोटा

बन्दोबस्त में जिस स्थान पर काबिज था तथा आज भी वहीं काबिज हैं''। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.07.2019 से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलार्थी धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

31-7-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा